

संपत्ति कुर्की से पहले नगर निगम की कमेटी करेगी आमजन की सुनवाई

31 मार्च तक लोगों राहत के साथ बकाया यू.डी. टैक्स जमा कराने का मौका मिला

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने शुक्रवार को यूडी टैक्स संग्रह अभियान की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के संशोधन मौका मुआयना के बाद ही किए जाएं, ताकि आमजन के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। बैठक में जैन ने नगर निगम स्तर पर एक समिति गठित करने के निर्देश दिए, जो उन प्रकरणों की सुनवाई करेगी जिनमें कुर्की प्रस्तावित है।



स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने शुक्रवार को यूडी टैक्स संग्रह अभियान की समीक्षा बैठक ली।

उन्होंने कहा कि सुनवाई के बाद संबंधित करदाता को बकाया जमा कराने के लिए दो दिन का समय दिया जाए, ताकि उन्हें उचित अवसर मिल सके। जैन ने अधिकारियों को 31 मार्च तक चल रहे यूडी टैक्स संग्रह अभियान को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को दी जा रही रिहायती को जानकारी व्यापक रूप से पहुंचाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26

में अब तक जयपुर में यूडी टैक्स के रूप में 120.62 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि यूडी टैक्स एवं विज्ञापन कर मिलाकर कुल 144.58 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत देते हुए विशेष छूट दी गई है। इसके तहत वर्ष 2024-

2025 तक के नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर व्याज एवं शांति पर शत-प्रतिशत छूट होगी जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शांति की छूट के साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जयपुर में यूडी टैक्स के रूप में 120.62 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि यूडी टैक्स एवं विज्ञापन कर मिलाकर कुल 144.58 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है।

मिलेगी।

सचिव ने कहा कि यह अभियान न केवल राजस्व वृद्धि का माध्यम है, बल्कि आमजन को राहत प्रदान करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसंपर्क और जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाकर इस अभियान को सफल बनाएं।

इस बैठक में डीएलबी निदेशक प्रतीक जुईकर, नगर निगम आयुक्त डॉ गौरव सैनी, वित्तीय सलाहकार सांवरमल, निदेशक विधि लेखराज जाग्रत, नगर निगम के राजस्व अधिकारी सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

मार्च का अंत और अप्रैल की शुरूआत आंधी-बारिश से

नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 31 मार्च तक जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी-बारिश होने की संभावना : मौसम विभाग

जयपुर। प्रदेश में लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिम विक्षोभ के असर से मार्च माह का अंत और अप्रैल की शुरूआत आंधी बारिश से होगी। नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से शनिवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी।

31 मार्च तक जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी-बारिश देखने को मिलेगी। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में बैक टू बैक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के पश्चिम व उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुंदुब, चूरु और जैसलमेर में मौसम बदला और काले घने बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलीं और हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश से रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर गया और फसलें पानी में डूब गईं। सबसे ज्यादा बारिश पिलानी में 8 मिलीमीटर दर्ज की गई। 36.7 डिग्री के साथ बाइमेर और 26.2 डिग्री

के साथ फालोदी की रात सबसे गर्म रही। बादल छाने और बारिश होने से प्रदेश के पारे में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नया पश्चिम विक्षोभ 28 मार्च से राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने तथा मेघगर्जन के साथ तेज आंधी-बारिश की गतिविधियों में बढ़ती रहने की प्रबल संभावना है। 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में कहीं-कहीं दोपहर बाद आंधी-बारिश होने की संभावना है। 29-31 मार्च को विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव होने तथा जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आंधी (40-50 प्रति किलोमीटर घंटा) व कहीं-कहीं हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भी बैक

टू बैक पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है कि खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों, कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज व जिनको को दककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके।

जयपुर में शुक्रवार को दिन भर छिटपुट बादल छाए रहे। बादलों के बीच से सूरज की छांछमिचौली भी देखने को मिली। बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से दिन के पारे में 1.3 डिग्री की गिरावट और रात के पारे में 1 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया। जयपुर का अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। 29 से 31 मार्च के बीच पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक रहने से जयपुर में आंधी-बारिश की संभावना है।

साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर की 83 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 83 लाख रुपए की ठगी करने से जुड़े मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपदीय ने यह आदेश नवीन तैमानी की ओर से दायर द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में डीजीपी राजीव शर्मा और डीआईजी साइबर क्राइम वीसी के जरिए अदालत से जुड़े। डीजीपी ने कहा कि घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसमें और भी पीडित सामने आ सकते हैं। मामले में विदेश में बैठे याचिकाकर्ता के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी राजेश चौधरी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के आधार पर अपराध की गंभीरता में कमी नहीं आती है। प्रकरण में पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है और मामले में अनुसंधान जारी है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित जिंदल ने कहा कि याचिकाकर्ता के खतों में पांच लाख

राजस्थान हाईकोर्ट में डी.जी.पी. राजीव शर्मा ने रखा पक्ष

रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है और वह दस लाख रुपए देने को तैयार है। मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार होकर जेल में बंद है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि गत सुनवाई पर पीडिता ने अदालत को बताया कि वह जीवन के अंतिम चरण में है और पूरी तरह अकेली रहती है। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई निकट संबंधी नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डीजीपी और एएसपी को तलब करते हुए घुड़दा को शहर में आवास और भोजन उपलब्ध कराने को कहा था।

जेडीए की सीमा बढ़ी, लेकिन आधे से ज्यादा जयपुर शहर अब भी सीवरेज-ड्रेनेज से वंचित

जयपुर (कांस)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीमा को दोगुना कर 6000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने के फैसले के बीच शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वर्तमान में राजधानी की 60 फीसदी से अधिक आबादी सीवरेज, ड्रेनेज सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

जेडीए ने हाल के दिनों में करीब 600 नए गांवों को अपनी सीमा में शामिल किया है। इसके बावजूद मौजूदा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की गति धीमी बनी हुई है। पिछले वर्षों में विकसित की गई 135 से अधिक कॉलोनिमेंटों में से करीब 70 कॉलोनिमेंटों अब भी सीवरेज और ड्रेनेज सुविधा से वंचित हैं। शहर के कई हिस्सों में दशकों से सीवरेज लाइन नहीं डाली जा सकी है। रिंग रोड क्षेत्र तथा अजमेर, सीकर और आगरा रोड से सटी कॉलोनिमेंटों में भी यही स्थिति बनी हुई है। बरसात के दौरान ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में सड़कों पर जलभराव की समस्या आम हो जाती है, जिससे आमजन और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि जेडीए ने पीआरएन एरिया में सीवरेज कार्य शुरू किया है, लेकिन शहर के अन्य क्षेत्रों में अब भी कार्य लंबित है।

भारतीय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न

हरिद्वार (कांस)। भारतीय शिक्षा बोर्ड (बीएसबी) से संबद्ध देशभर के विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 के समापन के बाद अब मूल्यांकन का काम तेजी से होने जा रहा है। ताकि बोर्ड परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जा सके।

यहां बता दें कि 9 से 25 मार्च 2026 तक बोर्ड की परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुकी है। इन परीक्षाओं में देश के विभिन्न राज्यों के हजारों विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बीएसबी बोर्ड परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं अनुशासित वातावरण में किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। परीक्षा की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी में परीक्षा प्रक्रिया को संपन्न कराया गया।

इसके अतिरिक्त, सभी परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर शाखा कार्यालय नोएडा स्थित कंट्रोल रूम से लाइव स्क्रीनिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी गई, जिससे परीक्षा संचालन पूरी तरह प्रभावी, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बना रहा। किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए



बोर्ड की ओर से विशेष सतर्कता बरती गई तथा त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई थी।

भारतीय शिक्षा बोर्ड सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं परीक्षा केंद्र प्रभारियों के समन्वित सहयोग से यह परीक्षा प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई।

बोर्ड ने इस सफल आयोजन पर सभी संबंधित अधिकारियों, शिक्षकों एवं सहयोगी कर्मचारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। अब बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।

मूल्यांकन कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करते हुए परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य की अगली प्रक्रिया समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा सके।

'3 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करो, वरना जेडीए सचिव व निगम कमिश्नर पेश हो'

हाईकोर्ट ने खातीपुरा रोड से खिरणी फाटक की 60 फीट चौड़ी रोड पर अतिक्रमण मामले में जवाबा मांगा

जयपुर (कांस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खातीपुरा रोड से खिरणी फाटक की 60 फीट चौड़ी रोड पर अतिक्रमण मामले में जेडीए व नगर निगम को मौके की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। तय समय में रिपोर्ट पेश नहीं होने पर अदालत ने जेडीए सचिव व नगर निगम कमिश्नर को आगामी सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस रवि

चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश श्रीराम नगरिक विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा कि खातीपुरा से खिरणी फाटक को जोड़ने वाली रोड पर अतिक्रमण है। कई भूखंड रोड पर ही स्थित हैं और उन्हें हटाया भी नहीं गया है। जिसके चलते यहां का ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मौके से अतिक्रमण हटाया जाए। जिस पर सुनवाई

करते हुए अदालत ने गत 17 फरवरी को जेडीए व नगर निगम को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। अधिवक्ता अमित कुंडी ने अदालत में शपथ पत्र पेश कर कहा कि उन्होंने 23 फरवरी को नगर निगम को पत्र लिख दिया था कि यह स्थानीय स्कीम उन्हें ट्रांसफर कर दी है, लेकिन दोनों की ओर से सर्वे की गुफालत भरी रिपोर्ट आड़ी जिस पर कोर्ट ने दुबारा सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

डॉ. सतीश पूनियां ने बेंगलुरु में ली बैठक

बेंगलुरु। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी महानगरपालिका चुनाव-2026 की तैयारियों को लेकर बेंगलुरु में भाजपा की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें बेंगलुरु वेस्ट, बेंगलुरु सेंट्रल एवं साउथ, बेंगलुरु नॉर्थ एवं ईस्ट के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर भाजपा के विजय संकल्प की सिद्धि को लेकर मंथन किया।

ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी महानगरपालिका चुनाव-2026 को लेकर आयोजित बैठक को चुनाव प्रभारी राम माधव, चुनाव सह-प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां, चुनाव सह-प्रभारी संजय उपाध्याय, कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आर अशोक इत्यादि पदाधिकारियों ने संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाकर भाजपा के विजय संकल्प में जुटने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री एनस नंदीशा रेड्डी, प्रदेश उपाध्यक्ष बैराठी बसवराज, प्रदेश मंत्री थमेशा गौडा, जिला अध्यक्ष सप्तगिरि गौडा, जिला अध्यक्ष सीके राममूर्ति, विधायक एस रघु, विधायक दसारहल्ली मुनिराज इत्यादि ने भी संबोधित कर



सभी कार्यकर्ताओं को विजय अभियान के लिए संकल्पित होकर कार्य करने का संकल्प दिलाया, इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

किसानों की खुशहाली से ही देश की समृद्धि संभव : डॉ. समित शर्मा

सहकारी समितियों को व्यवसाय में वृद्धि कर आय बढ़ाने की आवश्यकता : राजफैड लाउंस

जयपुर। सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) के प्रशासक डॉ. समित शर्मा ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' नया विचार नहीं होकर एक-दूसरे की मदद करने की हमारी परम्परा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएंगे। डॉ. शर्मा शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन के सभागार में राजफैड की 69वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे।



राजफैड के प्रशासक डॉ. समित शर्मा ने शुक्रवार को आयोजित 69वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में ईश्वर ने हमें किसानों के परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाने का अवसर दिया है। किसान खुशहाल होगा तभी देश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता से मुक्ति दिलाकर आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना लागू की। इस योजना से बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अन्य उत्पादों में आज देश आत्मनिर्भर हो चुका है तथा दूसरे देशों को अन्न का निर्यात करने लगा है।

राजफैड प्रशासक ने कहा कि सहकारी समितियों को अपने व्यवसाय में वृद्धि कर आय बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम जो अन्न खाते हैं वह हमारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए श्री अन्न को प्रोत्साहित किया जाना समय की आवश्यकता है। फसल में रासायनिक

उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग संतुलित रूप में किया जाए। साथ ही, जैविक खेती व उत्पादों को अपनाने के लिए किसानों और आमजन को जागरूक किया जाए।

डॉ. शर्मा ने प्रदेश भर से आए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं प्रशासकों के सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उन्हें आश्चर्य कि उनकी समस्याओं का शीघ्र

समाधान कर सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे।

राजफैड के प्रबंध निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि विगत दिनों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को 183 करोड़ रुपए की बकाया राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि समितियों की नियमित आय

के लिए खरीद के अलावा अन्य विकल्पों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कृषि विभाग से समन्वय कर खाद सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

अग्रवाल ने कहा कि जो समितियां बीज उत्पादन, जैविक खेती और निर्यात से जुड़ना चाहती हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय समितियों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्य बनें, राजफैड द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया जाएगा। वार्षिक साधारण सभा में गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि सहित एजेंडा में शामिल विभिन्न बिंदुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रारंभ में शासन सचिव सहित अन्य गणमान्य नजनों ने दीप प्रज्वलन कर वार्षिक साधारण सभा का विधिवत शुभारंभ किया। साधारण सभा में वित्त विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त शासन सचिव दिनेश अरोड़ा सहित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं प्रशासक तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

सार-समाचार

सिंघ्रिण एमजर एडिट एजीबिशन शुरू



जयपुर (कांस)। भारतीय हैडलूम और हैडीक्राफ्ट्स के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अग्रणी मंच शिल्पकारी द्वारा जयपुर में बहुप्रतीक्षित एजीबिशन सिंघ्रिण-समर एडिट का बिडला ऑडिटोरियम में भव्य आगाज हुआ। एजीबिशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, डेवलपमेंट कमिश्नर (डीसी) - हैडलूम, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, आईएस डॉ एम. वीणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने शिल्पकारी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि "यह भारत की हैडलूम और हस्तशिल्प विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य कर रहा है। शिल्पकारी की संस्थापक शिल्पी भार्गव ने बताया कि एजीबिशन के शुभारंभ पर मेडिटेशन एक्सपर्ट और यान आचार्या, निर्मला सेवानी ने मंत्रोच्चारण कर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। यह तीन दिवसीय एजीबिशन 29 मार्च तक बिडला ऑडिटोरियम के म्यूजियम हॉल में आयोजित होगा। एजीबिशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आर्टिजिट द्वारा भारत के बेहतरीन हैडलूम वस्त्रों और हैडक्राफ्टेड उत्पादों का एक व्यूटेड कलेक्शन शोकेस किया है। इस कलेक्शन में 40 से अधिक शिल्पों को शामिल किया गया है, जिसमें हैडलूम साडियों, टेक्सटाइल, गार्मेंट्स, यार्डेंज, ज्वेलरी और हैडीक्राफ्ट्स की विस्तृत रेंज प्रदर्शित की जा रही है।

"अर्थ ऑवर-डे" में सहभागिता की अपील

जयपुर। अर्थ ऑवर डे पर 28 मार्च को लोकभवन में रात्रि 8.30 बजे से 9.30 बजे तक सभी गैर-जर्करी विद्युत प्रकाश उपकरण बंद रखे जाएंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आमजन को भी अपील की है कि एक घंटे के लिए गैरजर्करी लाइट्स को बंद रखकर अर्थ ऑवर डे में सभी सहभागिता निभाएं। उन्होंने कहा कि इससे सामूहिक तौर पर ऊर्जा संरक्षण को दिशा में हम सार्थक पहल कर पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह हम सबकी महती पहल होगी। उल्लेखनीय है कि बिजली बचाने के मकसद से दुनियाभर में विश्व भर में अर्थ ऑवर डे मनाया जाता है। यह अर्थ ऑवर वर्ल्ड वाइड फंड का एक अभियान है। इसका मकसद लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।

जेडीए ने आवंटित की 17 हैक्टेयर भूमि

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 220वीं बैठक में शहर के समग्र विकास, सार्वजनिक परिवहन के विस्तार और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को गॉन-फेयर रेवेन्यू गतिविधियों के लिए ग्राम माजपुरा (तहसील मौजवाबाद) में 7.45 हेक्टेयर तथा भोजपुरा (तहसील फागी) में 10.0529 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय मेट्रो परियोजना को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 केवी जीएसएस के निर्माण के लिए ग्राम चकवाडा (तहसील फागी) में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन फैसलों से जयपुर में विद्युत अवसरचना के सुदृढ़ीकरण और शहरी सुविधाओं के व्यापक विकास को उत्पार मिलेगी। बैठक में सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त डॉ प्रिया बलराम, उप आयुक्त दिग्गज चांगल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हरिद्वार में जयपुरिया यात्री निवास सेवा

हरिद्वार। पावन तीर्थनगरी हरिद्वार में सेठ बेनी प्रसाद जयपुरिया ट्रस्ट द्वारा भूतलवाला क्षेत्र में जयपुरिया यात्री निवास का शुभारंभ किया गया। यह पहल न केवल एक महत्वपूर्ण सेवा कार्य है, बल्कि समस्त राजस्थानी समाज के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय भी है। देश-विदेश से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर राजस्थानी यात्रियों के लिए यह यात्री निवास एक सुरक्षित, सुलभ एवं आत्मीय आवास सुविधा प्रदान करेगा। इसे श्रद्धालुओं के लिए एक स्नेहपूर्ण आश्रय के रूप में विकसित किया गया है। इस पुनीत कार्य के लिए समाज में महावीर प्रसाद जयपुरिया एवं अनुराग जयपुरिया के प्रति विशेष सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। उनकी यह पहल नर सेवा ही नारायण सेवा के आदर्श को साकार करती है, जिसकी व्यापक सराहना हो रही है। उद्घाटन अवसर पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया

जयपुर। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के कंट्रोल रूम का शुक्रवार को राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि विभाग की नई योजनाओं को संपर्क पोर्टल के सबेकट में शामिल किया जाए, जबकि पुराने और अनुपयोगी विषयों की समीक्षा कर उन्हें हटाया जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान के लिए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च 2025 से 27 मार्च 2026 तक राजस्व विभाग से जुड़े कुल 1,90,151 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 1,80,222 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। यह कुल 9.4.78 प्रतिशत निस्तारण दर दर्शाता है। इन मामलों के समाधान में औसतन 22 दिन का समय लगा, जबकि लगभग 50 प्रतिशत परिवारियों ने समाधान पर संतुष्टि जताई।